CINU01112CT2004S6C017023 Website: http://agriportal.cg.nic.in/beejnigam

छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
(छ.ग.शासन का उपक्रम)
मुख्यालय "बीज भवन" रविग्राम, तेलीबांधा जी.ई.रोड रायपुर (छ.ग.)
फोन नं.: 0771-4212201-228, फैक्स नं.: 0771-4046039, 4269654
ई-मेल : cgbkvn_homs@yahoo.co.in

क्र./मुख्या./बी.कृ.वि.नि./ई-कृषि/2023-24/7745 रायपुर, दिनांक 18/10/2023

प्रति,

मेसर्स (समस्त)..

....

विषय :- ई-कृषि के व्यवसाय के प्रचालन के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि ऑनलाईन (ई-कृषि) पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु वेंडर्स को निम्नलिखित अनुसार कार्य निर्देशित किया जाता है :-

1. क्रेता विभाग द्वारा ई-कृषि के माध्यम से प्रेषित किये गये ऑनलाईन ऑर्डर्स को ई-कृषि के माध्यम से स्वीकार करना होगा।
2. ऑनलाईन प्राप्त आर्डर्स को यदि किसी कारणवश कैन्सल करना चाहते है, तो इस हेतु 02 दिवस के भीतर ऑनलाईन कैन्सल कर सकते है। 02 दिनों के अंदर कैन्सल न करने की स्थिति में ऑनलाईन कैन्सिलेशन नहीं हो पायेगा।
3. ऑनलाईन ऑर्डर्स स्वीकार करने के पश्चात् डिस्पेच करते समय डिस्पेच विवरण को ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से भरना होगा, जिसमें सामग्री मात्रा, डॉकेट नम्बर, डिस्पेच दिनांक, इन्वाईस नम्बर भरना अनिवार्य होगा।
4. वेंडर्स द्वारा ई-कृषि के माध्यम से डिस्पेच विवरण भरते समय संबंधित क्रेता विभाग को प्रदायक सामग्री का ऑफलाईन देयक जारी करना होगा।
5. तत्पश्चात् तत्काल ही इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट को ई-कृषि पोर्टल के माध्यम से आगे प्रेषित करना होगा।
6. प्रदायक सामग्री का ऑफलाईन देयक का पी.डी.एफ. ई-कृषि के माध्यम से इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट डालते समय अपलोड करना होगा।
7. प्रदायक सामग्री के देयक का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	बेसिक रेट	जी.एस.टी.	5% इंस्पेक्शन चार्जेस	इंस्पेक्शन चार्जेस पर 18% GST	कुल देयक राशि
A	B	C	D	E	F
			(B X 5)/100=D	(D X 18)/100=E	B+C+D+E=F

8. इंस्पेक्शन शुल्क का देयक लेखा शाखा द्वारा संबंधित वेंडर को इंस्पेक्शन पूर्ण होने के पश्चात् जारी किया जायेगा। जिसका भुगतान वेडर्स को देयक जारी होने के 15 दिवस के भीतर बीज निगम को करना अनिवार्य होगा।
9. संबंधित वेंडर द्वारा 15 दिवस के भीतर निरीक्षण देयक राशि का भुगतान न करने की स्थिति में वेंडर को 7 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में वेंडर का ऑनलाईन लॉगिन अकाउंट डिएक्टीवेट कर दिया जायेगा, जो कि भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् ही पुनः रिएक्टीवेट किया जावेगा।
10. इंस्पेक्शन शुल्क के देयक का भुगतान करने के पश्चात् वेंडर्स को भुगतान की रसीद ई-कृषि पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

प्रबंध संचालक
मुख्यालय, रायपुर